[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांकः 30 सितंबर, 2019

अधिसूचना

सा.का.नि ----- (अ) ----- सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) की धारा 3 के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाती है, नामत:

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ:

(i) इस स्कीम का नाम सॉवरन स्वर्ण बांड स्कीम, 2019-20 होगा।

(ii) प्रत्येक ट्रांश के लिए भिन्न-भिन्न श्रृंखलाएं (श्रृंखला-V से आरंभ) होंगी जिन्हें निवेशकों को जारी बांडों में दर्शाया जाएगा।

(iii) यह सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषा:

इस स्कीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो, -

(क) "प्रपत्र" का अर्थ है, इस स्कीम के साथ संलग्न प्रपत्र;

(ख) "प्राप्तकर्ता कार्यालय" का अर्थ है लघु वित्तीय बैंक और भुगतान बैंक को छोडकर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के कार्यालय या शाखा (इस अधिसूचना के अनुबंध I में यथाविनिर्दिष्ट) नामोद्दिष्ट डाकघर (इस अधिसूचना के अनुबंध-II में यथा विनिर्दिष्ट),स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और इस अधिसूचना के अनुबंध III में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकृत स्टॉक एक्सचेंज;

(ग) "स्टॉक प्रमाणपत्र" का अर्थ है, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 3 के अनुसार भारत सरकार स्टॉक के रूप में निर्गमित स्वर्ण बांड।

3. निवेश हेतु पात्रता:

इस स्कीम के अंतर्गत, स्वर्ण बांडों को एक न्यास,एच.यू.एफ.,धर्मार्थ संस्था, विश्वविद्यालय अथवा भारत में किसी निवासी व्यक्ति द्वारा, एक व्यक्ति की हैसियत से, ऐसे व्यक्ति के रूप में अथवा नाबालिग की ओर से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से धारित किया जा सकेगा।

***स्पष्टीकरण-* इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ-**

(i) "व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (प) में यथा परिभाषित है;

(ii) शब्द "भारत में निवासी व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (फ) में यथा परिभाषित है।

(iii) "न्यास" का अर्थ होगा भारतीय न्यास अधिनियम,1882 के अनुसार गठित/बनाया गया न्यास अथवा कुछ समय के लिए लागू किसी केंद्रीय अथवा राज्य के विधान के उपबंधों के तहत गठित अथवा मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी न्यास और लोक धार्मिक या धर्मार्थ प्रयोजन या दोनों प्रयोजनों हेतु गठित अभिव्यक्त या रचनात्मक न्यास भी, जिसमें मंदिर, मठ, वक्फ, चर्च, साइनागॉग, एनाजियरी अथवा सार्वजनिक धार्मिक पूजा की अन्य जगह अथवा धर्मादा अथवा धार्मिक या धर्मार्थ प्रयोजन अथवा दोनों के लिए गठित सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारत में उस समय लागू किसी विधान के तहत पंजीकृत कोई अन्य धार्मिक या धर्मार्थ वृत्तिदान और सोसायटी।

(iv) "धर्मार्थ संस्था" का अर्थ है भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत अथवा लागू विधान के अनुसार धर्मार्थ संस्था के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त की हुई संस्था; या कोई भी संस्था जिसने आय कर अधिनियम की धारा 80छ के प्रयोजन से आयकर प्राधिकरण से प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है।

(v) 'विश्वविद्यालय' का अर्थ है केंद्रीय, राज्य या क्षेत्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित या सम्मिलित विश्वविद्यालय और इसमें उस अधिनियम के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय होने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 की धारा 3 (1956 की 3) के तहत घोषित संस्था शामिल है।

4. मूल्यवर्ग, अभिदान सीमा और मूल्य निर्धारण:

(i) बांड एक ग्राम स्वर्ण अथवा इसके गुणजों के मूल्यवर्ग में जारी किया जाएगा:

परंतु यह कि जारी बांड में अभिदान की न्यूनतम सीमा 1 ग्राम और अभिदान की अधिकतम सीमा प्रति वित्त वर्ष व्यष्टि के लिए 4 किलोग्राम, हिंदू अविभाजित कुटुम्ब के लिए 4 किलोग्राम और न्यासों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित इसी तरह की संस्थाओं के लिए 20 किलो ग्राम होगी;

परंतु यह भी कि संयुक्त धारिता के मामले में, उपर्युक्त सीमाएं केवल प्रथम आवेदक पर ही लागू होंगी;

परंतु यह भी कि वार्षिक सीमा में सरकार द्वारा आरंभिक निर्गम के दौरान विभिन्न ट्रांश में अभिदत्त और द्वितीयक बाजार से खरीदे गए बांड शामिल होंगे; और

परंतु यह भी कि निवेश पर सीमा, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा संपार्श्विक के रूप में धारिता में शामिल नहीं होगी।

(ii) स्वर्ण बांडों का अंकित मूल्य अभिदान अवधि से पिछले सप्ताह के अंतिम 3 कार्य दिवसों के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्यूलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता के स्वर्ण के बंद भाव के साधारण औसत के आधार पर भारतीय रुपए में होगा।

(iii) ऑनलाइन आवेदन करने वाले और उसका भुगतान डिजीटल माध्यम से करने वाले निवेशकों के लिए स्वर्ण बांड का निर्गम मूल्य, अंकित मूल्य से ₹ 50 प्रति ग्राम कम होगा ।

5. स्वर्ण बांडों के अभिदान हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया:

(i) स्वर्ण बांडों के अभिदान हेतु आवेदन करने के इच्छुक प्रत्येक अभिदाता को प्रपत्र 'क' अथवा उसी के समान किसी अन्य प्रपत्र में किसी भी प्राप्तकर्ता कार्यालय को आवेदन करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से स्वर्ण के ग्राम में वजन और आवेदक का पूरा नाम और पता देना होगा।

(ii) प्रत्येक आवेदन में ऐसे दस्तावेज और ब्यौरे होंगे जैसे कि आवेदन पत्र में दिए गए निर्देशों में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

(iii) प्रत्येक आवेदन के साथ आयकर विभाग द्वारा निवेशक(कों) को जारी पैन नंबर (स्थायी खाता संख्या) संलग्न किया जाना अत्यावश्यक है।

(iv) उप-पैराग्राफ (i) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर, प्राप्तकर्ता कार्यालय, **प्रपत्र** 'ख' में पावती जारी करेगा, यदि आवेदन की सभी अपेक्षाएं पूरी की गई हों।

(v) अपूर्ण आवेदन को अस्वीकृत किया जा सकता है।

6. स्वर्ण बांडों के निर्गम की तिथि और स्वरूप:

(i) स्वर्ण बांड प्रपत्र 'ग' में यथा विनिर्दिष्ट "स्टॉक प्रमाण पत्र" के रूप में निर्गमित किए जाएंगे।

(ii) स्वर्ण बांड डी-मैट रूप में रूपांतरित किए जाने के लिए पात्र होंगे।

7. अभिदान की अवधि:

इस स्कीम के अंतर्गत स्वर्ण बांड का अभिदान नीचे खंड 8 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार खुलेगा; परंतु केंद्रीय सरकार पूर्व नोटिस देकर, उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि से पहले स्कीम को बंद कर सकती है।

8. निर्गमन का कैलेंडर-

क्र.सं.	**ट्रांश**	**अभिदान की अवधि**	**निर्गम की तारीख**
1	2019-20 श्रृंखला V	07-11 अक्टूबर, 2019	15 अक्टूबर, 2019
2	2019-20 श्रृंखला VI	21-25 अक्टूबर, 2019	30 अक्टूबर, 2019
3	2019-20 श्रृंखला VII	02–06 दिसंबर, 2019	10 दिसंबर, 2019
4	2019-20 श्रृंखला VIII	13-17 जनवरी, 2020	21 जनवरी, 2020
5	2019-20 श्रृंखला IX	03-07 फरवरी, 2020	11 फरवरी, 2020
6	2019-20 श्रृंखला X	02-06 मार्च, 2020	11 मार्च, 2020

9. ब्याज:

(i) स्वर्ण बांडों पर ब्याज इसके निर्गम की तारीख से प्रभारित होगा और 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की नियत ब्याज दर अंकित मूल्य पर लगायी जाएगी।

(ii) यह ब्याज अर्ध-वार्षिक रूप में देय होगा तथा अंतिम ब्याज परिपक्वता होने पर मूल के साथ देय होगा।

10. प्राप्तकर्ता कार्यालय- प्राप्तकर्ता कार्यालय, सीधे अथवा एजेंटों के जरिए बांडों के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

11. भुगतान के विकल्प:

(i) स्वर्ण बांड के लिए सभी भुगतान नकद में (अधिकतम ₹ 20,000 तक) अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा चैक अथवा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से भारतीय रुपए में स्वीकृत किए जाएंगे।

(ii) जहां भुगतान चैक अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किए जाते हों, उन्हें प्राप्तकर्ता कार्यालय के पक्ष में आहरित किया जाएगा।

12. मोचन:

(i) स्वर्ण बांड, इनके निर्गम की तारीख से आठ वर्ष की समाप्ति पर अदायगी योग्य होंगे:
परंतु स्वर्ण बांड का परिपक्वता पूर्व मोचन, स्वर्ण बांड के निर्गम की तारीख से, पांचवें वर्ष की समाप्ति पर अनुमत किए जा सकते हैं और ऐसे भुगतान अगले ब्याज भुगतान की तारीख को देय होंगे।

(ii) परिपक्वता पर, स्वर्ण बांडों का मोचन भारतीय रुपए में होगा और मोचन का मूल्य इंडिया बुलियन एंड ज्यूलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित पिछले 3 कार्य दिवसों की 999 शुद्धता के स्वर्ण के समापन मूल्य की साधारण औसत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक/निक्षेपागार निवेशक को, स्वर्ण बांड की परिपक्वता की तारीख के बारे में, परिपक्वता से एक माह पूर्व सूचित करेगा।

13. सांविधिक नकदी अनुपात हेतु पात्रता:

केवल ग्रहणाधिकार (लियन)/आडमान (हाइपोथिकेशन)/गिरवी रखने की प्रकिया के माध्यम से बैंकों द्वारा प्राप्त किए गए बांड सांविधिक नकदी अनुपात हेतु पात्र होंगे।

14. बांडों के एवज में ऋण:

(i) इस स्कीम के अंतर्गत स्वर्ण बांडों को किसी भी ऋण के संबंध में संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिदेशित किसी भी सामान्य स्वर्ण ऋण पर यथा प्रयोज्य ऋण - मूल्य अनुपात इस स्कीम के अंतर्गत निर्गमित स्वर्ण बांड पर भी लागू होगा।

टिप्पणी: एसजीबी के प्रति ऋण उधार देने वाले बैंक/संस्था के निर्णय के अध्यधीन होंगे और एसजीबी धारक द्वारा अधिकार के रूप में अनुमित नहीं किए जा सकते हैं।

15. कर उपाय:

स्वर्ण बांड पर मिलने वाला ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार कर योग्य होगा। इन बांडों के मोचन पर पूंजी प्रतिलाभ कर में व्यष्टि के लिए छूट है। बांडों के हस्तांतरण पर किसी व्यक्ति को प्राप्त दीर्घावधिक पूंजी प्रतिलाभ को सूचीयन लाभ प्रदान किया जाएगा।

16. नामांकन:

(i) नामांकन और इसका निरसन क्रमशः **प्रपत्र 'घ'** और प्रपत्र **'ङ'** में किया जाएगा, जो सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) और तारीख 01 दिसंबर, 2007 के भारत के राजपत्र, भाग III खंड 4, में प्रकाशित सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ii) एक व्यष्टि अनिवासी भारतीय अपने नाम पर प्रतिभूति का अंतरण दिवंगत निवेशक के नामिती होने के नाते करवा सकता है;

परंतु यह कि उस अनिवासी भारतीय को समय-पूर्व मोचन अथवा परिपक्वता तक प्रतिभूति का धारक बने रहना आवश्यक है;

परंतु यह भी कि निवेश पर ब्याज और परिपक्वता आय स्वदेश भेजने योग्य नहीं होगी।

17. स्वर्ण बांडों का अंतरण:

स्टॉक प्रमाण पत्र के रूप में स्वर्ण बांडों को प्रपत्र **'च'** में निहित अंतरण लिखत के निष्पादन से हस्तांतरित किया जा सकेगा, जो सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) और तारीख 01 दिसंबर, 2007 के भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4, में प्रकाशित सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

18. स्वर्ण बांडों में कारोबार:

स्वर्ण बांड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से कारोबार किए जाने हेतु पात्र होंगे।

19. अभिदान जुटाने के लिए कमीशन:

इन बांडों के लिए अभिदान जुटाने के कमीशन का भुगतान, प्राप्तकर्ता कार्यालयों द्वारा प्राप्त किए गए आवेदनों पर, प्राप्त कुल अभिदान के प्रति सौ पर एक रुपए की दर से की जाएगी और प्राप्तकर्ता कार्यालय इस प्रकार प्राप्त कमीशन का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा एजेंटों या उप-एजेंटों के साथ, उनके जरिए प्राप्त कारोबार के लिए हिस्सेदारी करेंगे।

20. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना. एफ संख्या 4(2)-डब्ल्यू एण्ड एम/2018, तारीख 27 मार्च, 2018 में निर्दिष्ट अन्य सभी निबंधन और शर्तें इस स्कीम के अंतर्गत निर्गमित स्वर्ण बांड पर लागू होगी।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

30/9/19

(रजत कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

[एफ संख्या 4(7)-बी(डब्ल्यू एण्ड एम)/2019]
नई दिल्ली
दिनांक :30 सितंबर,20 19